



Estd.1917

पटना विश्वविद्यालय

PATNA UNIVERSITY

NAAC Accredited B+Grade

कार्यालय आदेश

ईद-उल-फित्र के अवसर पर पूर्व की भांति सभी मुस्लिम शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को रू0 35,000/- (रूपये पैतीस हजार मात्र) त्यौहार अग्रिम राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिनका पूर्व में दिए गए त्यौहार अग्रिम राशि का समायोजन किया जा चुका है। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उपर्युक्त राशि का भुगतान माह मार्च 2025 में किया जायेगा। अग्रिम राशि का समायोजन रू 3,500/- (रूपये तीन हजार पाँच सौ मात्र) प्रति माह की दर से दस किस्तों में कर ली जायेगी। उक्त राशि का समायोजन अप्रील 2025 से जनवरी 2026 के वेतन से होगा।

त्यौहार अग्रिम राशि भुगतान हेतु शिक्षकेत्तर कर्मचारी को लिखित अनुरोध संबंधित इकाई में समर्पित करना होगा

कुलपति के आदेश से,

ह0/-

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

दिनांक- 10.03.2025

ज्ञाप संख्या-~~2284~~/393

प्रतिलिपि: 1. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 2. सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 3. सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय 4. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय 5. सभी छात्रावासों के अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय 6. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, केन्द्रीय औषधालय, पटना विश्वविद्यालय 7. प्रभारी पदाधिकारी विश्वविद्यालय प्रेस, पटना विश्वविद्यालय 8. प्रभारी पदाधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय, पटना विश्वविद्यालय 9. विश्वविद्यालय सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 10. सभी प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 11. कुलपति के सचिव, पटना विश्वविद्यालय 12. प्रतिकुलपति के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय 13. कुलसचिव के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shalini
10-3-2025
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

(Signature)
10/3/25